

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक—.....09/09/2026

संचिका संख्या—03/आ०1-278/2024.1/498007./निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के पत्रांक—3296 दिनांक—29.10.2024 द्वारा श्री विद्यानन्द ठाकुर, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी—सह—जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, सारण सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में आरोप यथा— मध्याह्न भोजन योजना का सतत अनुश्रवण नहीं करना एवं निदेशालय द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश का आक्षेपः पालन नहीं करना, निदेशालय पत्रांक—म०भ०/यो०—10/2014—1807 द्वारा दिये गये निदेश का अवहेलना करना तथा वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही का आरोप प्रतिवेदित है। आरोप पत्र के आलोक में श्री ठाकुर से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी। श्री ठाकुर द्वारा लिखित बचाव अभिकथन समर्पित किया गया।

2. श्री ठाकुर के लिखित बचाव अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर विभागीय संकल्प संख्या—274456 दिनांक—30.07.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

3. श्री ठाकुर के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक—32 दिनांक—04.05.2026 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

4. प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक—411914 दिनांक 07.05.2026 द्वारा श्री ठाकुर से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। श्री ठाकुर द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन/निवेदन पत्रांक—297 दिनांक 21.05.2026 द्वारा समर्पित किया गया।

5. श्री विद्यानन्द ठाकुर पर प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी के लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। इसमें यह ज्ञात होता है कि इनपर मुख्य रूप से मध्याह्न भोजन योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण ठीक ढंग से नहीं करने के कारण इस योजना में गंभीर अनियमितताएं होने का आरोप है। जांच पदाधिकारी के द्वारा इस आरोप को जांचोपरान्त प्रमाणित पाया गया है। इसके संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी के लिखित अभ्यावेदन में जो पक्ष प्राप्त हुआ है, उसके विश्लेषण से यह परिलक्षित होता है कि मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में गड़बड़ी के कारण एजेंसी के विपत्र से 10 प्रतिशत राशि की कटौती किए जाने का तर्क दिया गया है। एजेंसी के विपत्र से केवल 10 प्रतिशत की राशि की कटौती किए जाने का कोई आधार आरोपी पदाधिकारी के द्वारा नहीं बतलाया गया है, कटौती की राशि इससे अधिक भी हो सकती थी तथा एजेंसी के विरुद्ध अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती थी। इस प्रकार फर्जी विपत्र के आधार पर एजेंसी को गलत भुगतान का आरोप सही परिलक्षित होता है। श्री विद्यानन्द ठाकुर के द्वारा विभाग से निर्गत दिशा—निर्देशों के अनुसरण में सतत अनुश्रवण नहीं करने तदनुसार वरीय पदाधिकारियों के निदेशों की अवहेलना के आधार पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन किए जाने का आरोप भी प्रमाणित होता है। अतएव इनके लिखित अभ्यावेदन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. तदनुसार अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री विद्यानन्द ठाकुर, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी—सह—जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, सारण सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,

नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (VI) के प्रावधानों के तहत “संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि रोकने” की शास्ति विनिश्चित की गई तथा इस विनिश्चित शास्ति पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

7. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-1835 दिनांक-20.08.2026 द्वारा श्री विद्यानन्द ठाकुर, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, सारण सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के विरुद्ध उपर्युक्त विनिश्चित शास्ति पर आयोग की सहमति संसूचित की गई है।

8. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री विद्यानन्द ठाकुर, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, सारण सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (VI) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है—“संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि की रोक”।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय। इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/—

(विजय कुमार पाण्डेय)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापकः—03/आ01-278/2024.1/498007/ पटना, दिनांक.....09/09/2026

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा०शि०)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं श्री विद्यानन्द ठाकुर, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, सारण सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by

Vijay Kumar Pandey

दिनांक 09/09/2026 14:08:23